U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % ch- ,y- dkBkjh] vkbZ-,-,l

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 384/2017

vihykUV बनाम **jLikMUVl**

1. गंगासिंह पुत्र स्व0 भीमसिंह

निवासी– रायथल तहसील आहोर।

1. जेठूसिंह पुत्र स्व0 भीमसिंह
2. नरपतसिंह पुत्र स्व0 भीमसिंह
3. स्व0 भंवरसिंह पुत्र स्व0 भीमसिंह के कायम मुकामः–
   1. श्रीमती तार कंवर पत्नि
   2. दशरथसिंह पुत्र
   3. प्रदीपसिंह पुत्र
   4. प्रिया कंवर पुत्री

   समस्त निवासीगण– रायथल तहसील आहोर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 14.09.2018 न्यायालय तहसीलदार, आहोर जो प्रकरण संख्या 01/2017 गंगासिंह बनाम जेठूसिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1., श्री हनवन्तसिंह बालोत, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री गुलाब सिंह चम्पावत अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, रा0 अधिवक्ता, रेस्पो.सं. 4 की ओर से उपस्थित है।

fu.k;

fnukd% 18 fnlEcj] 2019

1. अपीलान्ट के द्वारा यह प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धाारा 75 के तहत न्यायालय तहसीलदार आहोर के द्वारा पारित प्रकरण संख्या 01/2017 गंगासिंह बनाम जेठूसिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2018 के विरूद्व दिनांक 11.10.2017 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अपने चाचा स्व0 सुजानसिंह के द्वारा उनके पक्ष की गई वसीयत के आधार ग्राम मौजा रायथल के खसरा संख्या 212, 978, 992 कुल रकबा 5.84 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम नामान्तरकरण करने हेतु तहसीलदार आहोर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार आहोर ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 14.9.2017 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए स्व0 सुजानसिंह के स्थान पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें।

4. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह पूर्ण एवं विस्तृत नहीं है। इसके अतिरिक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्था का न तो कोई हवाला दिया हे और न ही किसी व्यवस्था के प्रकाश में निर्णय पारित किया है जो निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त उनके चाचा सुजान ने अपनी रजिस्टर्ड वसीयत के जरिये उक्त खसरान भूमि का अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 20.6.2016 को अपने जीवनकाल में ही कर दी थी और उक्त भूमि पर कब्जा काश्त भी अपीलान्ट का ही चला आ रहा है। उक्त खसरान भूमि स्व0 सुजानसिंह की स्वअर्जित सम्पति थी तथा कब्जा भी उनका ही था, श्री सुजानसिंह के जीवनकाल में अपीलान्ट उनकी समस्त प्रकार की सेवा चाकरी करता रहा है। जिसके बदले में उनके द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत की थी। श्री सुजानसिंह का अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत लिखे जाने के एक माह बाद देहान्त हो गया था।

5. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयतनामें को न माने जाने का कोई आधार अपने आदेश में अंकित नहीं किया है और न ही वसीयत को फर्जी अथवा झूठी बताया है। जबकि उक्त वसीयतनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज था जिसे निरस्त कराये बिना उसे न मानने का कोई आधार अधिनस्थ न्यायालय के पास था। नामान्तरकरण दर्ज करते समय यदि राजस्व अधिकारी के समक्ष मृतक व्यक्तियों के एक से अधिक उत्तराधिकारी प्रकट होते है तथा भूमि का क्लेम

करते है तो क्लेम पेश होने पर मृतक के उत्तराधिकारियों का निर्धारण करना धारा 372 उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जिला न्यायालय को दिया हुआ है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश में में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने सम्बन्धी कोई विशेष तथ्य अंकित नहीं किये गये है। ऐसे में तहसीलदार आहोर के द्वारा अपीलधीन निर्णय पारित करते हुए जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उल्लघंन किया है। तहसीलदार आहोर द्वारा साक्ष्य कलमबद्ध करने, साक्षीगणों के बयान लिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की भी पूर्ण पालना नहीं की है और न ही विस्तृत जॉच का अंकन अपने आदेश में किया है। यदि अपीलान्ट की अपील स्वीकार नहीं की जाती है तो अपीलार्थी उक्त वसीयत अनुसार वर्णित भूमि से वंचित हो जायेगा। अतः उपरोक्त अपील आधारों को लिखित बहस में अंकित बिन्दुओं के आधार पर अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए अपीलान्ट के पक्ष में हुई वसीयत अनुसार वादग्रस्त भूमि का नामा. अपीलान्ट के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावें।

6. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार आहोर के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो पूर्ण रूप से विधिवत अनुसार पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

7. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत पेश की गई है, वो न्यायालय हाजा के श्रवण क्षेत्राधिकार की नहीं होकर जिला कलेक्टर के सुनवाई क्षेत्राधिकार में आती है क्योंकि तहसीलदार के द्वारा उक्त कार्यवाही राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 के तहत सम्पादित की है। अतः अपील मेनेटेबल नहीं होने से खारिज की जावें।

8. रेस्पोडेन्टस के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार आहोर के समक्ष जब अपीलान्ट के द्वारा वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में नामा0 दायर किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उस समय हम रेस्पोडेन्टस को भी नोटिस जारी किये गये जिसके अनुसारण में वे न्यायालय तहसीलदार आहोर के सक्षम उपस्थित हुए एवं अपना पक्ष रखा तथा स्व0 सुजानसिंह की पैतृक सम्पति में उनके विधिक

उत्तराधिकारियों के नाम नियमानुसार फौतेदगी नामान्तरकरण दायर करने के जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो पूर्ण रूप से उचित है।

9. इसके अतिरिक्त तहसीलदार आहोर के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में हुई वसीयत के सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, एविडेन्टस एक्ट के तहत साक्ष्य लिये तथा गवाहों के बयान लिये जाने के पश्चात एवं सभी तथ्यों/बिन्दूओं पर गौर करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में स्व0 सुजानसिंह के विधिक वारिसान के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया है जो विधि अनुकूल उचित है जिसे बहाल रखा जावें। रेस्पोडेन्टस अभिभाषक के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न निर्णय दृष्टान्त पेश कियेः– आरआरडी, 2017 पेज 525, आरआरडी, 2019 (III), आरआरटी, 2009 (I) पेज 685, आरआरटी 2016 पेज 1442 इत्यादि।

10. हमने पक्षकारान अभिभाषक के द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत हुए दस्तावेजों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली इत्यादि का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता द्वारा दौरान सुनवाई प्रस्तुत हुई अपील के सुनवाई क्षेत्राधिकार बाबत उठाई गई आपप्ति के सम्बन्ध में अपील पर गुणावगुण पर निर्णय लिये जाने से पूर्व उक्त अपील को सुने जाने बाबत न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकारिता पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 का अवलोकन किया जो इस प्रकार से हैः––

धारा 75 के तह प्रथम अपील सिवाय, जबकि इस अधिनियम से अन्यथा उपबन्धित किया गया हो, प्रथम अपील

(क) भू प्रबन्ध अथवा भूमि अभिलेख से असम्बन्धित मामलें में तहसीलदारों द्वारा दी गई मूल आज्ञा से कलक्टर को,

(ख) सहायक कलक्टर या उपखण्ड अधिकारी या कलक्टर द्वारा भू प्रबन्ध से असम्बन्धित मामलों में दी गई मूल आज्ञा से राजस्व अपील अधिकारी को

(ग) भू प्रबन्ध अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व न्यायालय अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू प्रबन्ध अधिकारी को,

(घ) भू अभिलेख अधिकारी के अधीनस्थ के अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू अभिलेख अधिकारी को,

(ड) भू प्रबन्ध से सम्बन्धित मामलों में भू प्रबन्ध अधिकारी या कलक्टर द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू प्रबन्ध आयुक्त को,

(च) भू अभिलेख से सम्बन्धित मामलों में भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू अभिलेख निदेशक को,

(छ) आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकारी अथवा भू प्रबन्ध आयुक्त द्वारा दी गई मूल आज्ञा से बोर्ड राजस्व मण्डल को होगी।

इसी प्रकार राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन एफ.1 (236) राज0/डी/56 दिनांक 27.10.1956 एवं अधिनियम की धारा 135 को यहां उद्धरित करना समीचीन होगा।

- नोटिफिकेशन एफ.1 (236) राज0/डी/56 दिनांक 27.10.1956 के अनुसार इस प्रकार से हैः——

> "In pursuance of clause (b) of Section 260 of the Rajasthan Land Revenue Act 1975 (No.15 of 1956) the State Government is pleased to direct that the powers of a Land Records Officer to decide disputed cases referred to in sub-clause (2) of section 135 of the Act shall also be excercirced by Tehsildars."

- धारा 135 एलआर एक्ट इस प्रकार से हैः——

सूचना मिलने पर प्रक्रिया

> ''(1) ऐसी सूचनाएं प्राप्त होने पर या अन्यथा ऐसे तथ्यों का ज्ञान होने पर तहसीलदार ऐसी जॉच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो और निर्विवाद मामलों में यदि यह प्रतीत हो कि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य अवाप्ति हो चुकी है तो वह उसे वार्षिक रजिस्टरों में अभिलिखित करेगां।
>
> (2) यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार अवाप्ति विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में समक्ष हो, भेज देगा।''

13. धारा 135(2) के अनुसार उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार अवाप्ति विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, तो विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में समक्ष हो, भेज देगा।'' इस प्रकार स्पष्ट है कि इस धारा में भू अभिलेख

अधिकारी (एल.आर.ओ.) का कोई उल्लेख नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में ऐसे विवादास्पद मामलों को निपटाने के लिये भू अभिलेख अधिकारी LRO इस धारा 135(2) के तहत क्षेत्राधिकार के अभाव में कोई श्रवणाधिकार नहीं रखता है। अतः उक्त नोटिफिकेशन से तहसीलदार को एल.आर.ओ. की शक्तियां दे दिये जाने के पश्चात भी उसे ऐसे प्रकरण सुनने एवं निर्णय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं हो जाती है।

14. यह भी सर्वविदित है कि तहसीलदार विरासत, वसीयत इत्यादि के विवादास्पद मामलों को इस अधिनियम अर्थात भू राजस्व अधिनियम 1956 अथवा इस प्रकार के मामलों के निस्तारण से संबंधित अधिनियमों अर्थात TP Act./Succession Act, Tenancy Act आदि के तहत सुनने एवं उसका निस्तारण करने के लिये सक्षम अधिकारिता एवं क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार धारा 135(2) में वर्णित विवादास्पद मामलों को सुनने एवं उस पर निर्णय करने हेतु तहसीलदार की हैसियत से सक्षम नहीं है। यही स्थिति भू अभिलेख अधिकारी (एल.आर.ओ.) की स्थिति उपरोक्त अधिनियम के तहत है।

15. धारा 135(2) के तहत उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार अवापित के विवादास्पद प्रकरणों को निर्णित करने हेतु भू अभिलेख अधिकारी को अधिकृत किया नही किया हुआ है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन एफ.1 (236) राज0/डी/56 दिनांक 27.10.1956 से तहसीलदार को भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर दिये जाने पर भी वह धारा 135 (2) के तहत उत्तराधिकार, अन्तरण एवं अन्य अवाप्ति के विवादास्पद मामलों के निस्तारण हेतु अधिकृत नहीं हो जाता है।

16. हमने तहसीलदार आहोर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का भी अवलोकन किया जिस पर न्यायालय तहसीलदार, आहोर लिखा है व निर्णय भी तहसीलदार, आहोर की हैसियत से ही हस्ताक्षरित है, से स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने तहसीलदार की हैसियत से ही प्रकरण को निर्णित किया है। ऐसी स्थिति में इसकी अपील धारा 75 (एफ) के तहत न्यायालय हाजा के श्रवणधिकार में नहीं होकर धारा 75 (क) के तहत जिला कलेक्टर के श्रवणाधिकार में आती है। ऐसे में प्रस्तुत अपील पर

किसी प्रकार से गुणावगुण पर निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा। ऐसे में अपील को अपीलान्ट को सक्षम स्तर पर पर प्रस्तुत किये जाने हेतु लौटाई जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रस्तुत अपील मूल ही अपीलान्ट को लौटाई जाती है। निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर